



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04032022-233906
CG-DL-E-04032022-233906

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 943]
No. 943]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 3, 2022/ फाल्गुन 12, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 3, 2022/PHALGUNA 12, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2022

का.आ. 973(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि पंजाब राज्य के बठिंडा जिले में NH754A के कि.मी. 141 से कि.मी. 155 (डिस्ट्रिक्ट रेवेनुए ऑफिस बठिंडा), NH754A के कि.मी. 89 से कि.मी.137 (डिस्ट्रिक्ट रेवेनुए ऑफिस बठिंडा), NH754A के कि.मी. 137 से कि.मी.141 (डिस्ट्रिक्ट रेवेनुए ऑफिस बठिंडा) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 4-लेन/6-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् बठिंडा, डिस्ट्रिक्ट रेवेनुए ऑफिस बठिंडा (कि.मी. 89 से कि.मी. 155 NH754A) को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों

की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

अमृतसर-बठिंडा, पंजाब राज्य के बठिंडा जिले में NH754A के कि.मी. 89 से कि.मी.155 (डिस्ट्रिक्ट रेवेनुए ऑफिस बठिंडा) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: पंजाब		जिले का नाम: बठिंडा			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: बठिंडा					
गांव का नाम: धन सिंह खान (23)					
1	275	निजी	नहरी	0.0228000(हेक्टेयर)	0.0228000
गांव का नाम: कोट समीर(57)					
1	319//1	निजी	गैर मुमकिन	0.0177000(हेक्टेयर)	0.0177000
2	334//25/3	निजी	नहरी	0.0228000(हेक्टेयर)	0.0228000
गांव का नाम: लेहरा खाना(202)					
1	189	सरकारी	गैर मुमकिन	0.2175000(हेक्टेयर)	0.2175000
2	269	सरकारी	गैर मुमकिन	0.3010000(हेक्टेयर)	0.3010000
3	29//21/2	निजी	नहरी	0.0025000(हेक्टेयर)	0.0025000
4	46//1/2	निजी	नहरी	0.0025000(हेक्टेयर)	0.0025000
5	46//2/1	निजी	नहरी	0.0177000(हेक्टेयर)	0.0177000
6	94//15	निजी	नहरी	0.0076000(हेक्टेयर)	0.0076000
गांव का नाम: लेहरा मोहब्बत(196)					
1	116//11	निजी	नहरी	0.0051000(हेक्टेयर)	0.0051000
तालुक का नाम: रामपुरा फूल					
गांव का नाम: दयालपुरा भैका (25)					
1	51// 19	निजी	नहरी	0.0025000(हेक्टेयर)	0.0025000

गांव का नाम: साईब्राआह(34)					
1	406	निजी	गैर् मुमकिन	0.0228000(हेक्टेयर)	0.0228000
2	638	निजी	नहरी	0.0127000(हेक्टेयर)	0.0127000
3	639	अन्य(ग्राम पंचायत)	गैर् मुमकिन	0.0126000(हेक्टेयर)	0.0126000
तालुक का नाम: तलवंडी साबो					
गांव का नाम: भगवानगढ़ उर्फ भुखियावाली(96)					
1	207/1/1	निजी	नहरी	0.0228000(हेक्टेयर)	0.0228000
गांव का नाम: ड्यूनवाला (97)					
1	13//12	निजी	नहरी	0.0278000(हेक्टेयर)	0.0278000
2	15//11/2	निजी	नहरी	0.0177000(हेक्टेयर)	0.0177000
गांव का नाम: राय खान(21)					
1	131//4/2	निजी	नहरी	0.0051000(हेक्टेयर)	0.0051000
2	199/1	अन्य	गैर् मुमकिन	0.0455000(हेक्टेयर)	0.0455000
कुल				0.7867	0.7867

[फा. सं. 25220/NHAI/PIU/BTI/BTI-ASR/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March 2022

S.O. 973(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/Four lane with paved shoulder/Six laning etc.), maintenance, management and operation of NH754A in the stretch of land from Km. 141 to Km. 155 (DRO office, Bathinda), NH754A in the stretch of land from Km 89 to Km137 (DRO office, Bathinda), NH754A in the stretch of land from Km. 137 to Km. 141 (DRO office, Bathinda) in the district of BATHINDA in the state of PUNJAB, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, BATHINDA, District Revenue Office Bathinda (Km. 89 to Km. 155 NH754A) in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Amritsar - Bathinda, Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling in the stretch of land from Km. 89 to Km. 155 of NH754A in the district of BATHINDA in the state of PUNJAB.

State: PUNJAB		District: BATHINDA			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Bathinda					
Village: Dhan Singh Khana (23)					
1	275	Private	Nahri	0.0228000(Hectare)	0.0228000
Village: Kot Shamir(57)					
1	319//1	Private	Gair Mumkin	0.0177000(Hectare)	0.0177000
2	334//25/3	Private	Nahri	0.0228000(Hectare)	0.0228000
Village: Lehra Khana (202)					
1	189	Government	Gair Mumkin	0.2175000(Hectare)	0.2175000
2	269	Government	Gair Mumkin	0.3010000(Hectare)	0.3010000
3	29//21/2	Private	Nahri	0.0025000(Hectare)	0.0025000
4	46//1/2	Private	Nahri	0.0025000(Hectare)	0.0025000
5	46//2/1	Private	Nahri	0.0177000(Hectare)	0.0177000
6	94//15	Private	Nahri	0.0076000(Hectare)	0.0076000
Village: Lehra Mohabat (196)					
1	116//11	Private	Nahri	0.0051000(Hectare)	0.0051000
Taluk: Rampura Phul					
Village: Dyalpura Bhaika (25)					
1	51// 19	Private	Nahri	0.0025000(Hectare)	0.0025000
Village: Sailbrah (Selbrah) (34)					
1	406	Private	Gair Mumkin	0.0228000(Hectare)	0.0228000
2	638	Private	Nahri	0.0127000(Hectare)	0.0127000
3	639	Common(Gram Panchayat)	Gair Mumkin	0.0126000(Hectare)	0.0126000
Taluk: Talwandi Sabo					
Village: Bhagwargarh Urf Bhukhianwali (96)					
1	207/1/1	Private	Nahri	0.0228000(Hectare)	0.0228000
Village: Dunewala (97)					
1	13//12	Private	Nahri	0.0278000(Hectare)	0.0278000
2	15//11/2	Private	Nahri	0.0177000(Hectare)	0.0177000
Village: Rai Khana (21)					
1	131//4/2	Private	Nahri	0.0051000(Hectare)	0.0051000
2	199/1	Common	Gair Mumkin	0.0455000(Hectare)	0.0455000
Total				0.7867	0.7867

[F. No. 25220/NHAI/PIU/BTI/ASR/3A]

RAJESH GUPTA, Director